आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बा[illegible] में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–41/2021

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत

श्री रामनाथ सिंह —–विक्रेता

प्रति

श्रीमती यशोदा देवी —–क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) रामनाथ सिंह, पिता–स्व० घुरा सिंह, ग्राम–बैलाझखड़ा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा ने ग्राम–बैलाझखड़ा के थाना नं०–387 के अंतर्गत खाता सं०–46, प्लॉट सं०–241, रकबा–0.11 $\frac{1}{4}$ एकड भूमि क्रेता श्रीमती यशोदा देवी, पति–श्री श्यामलाल सिंह, ग्राम–बैलाझखड़ा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को भूमि विक्री करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(A) के अंतर्गत अंचल अधिकारी, डण्डई से जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, डण्डई से जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है की प्रतिवेदित भूमि आवेदक (विक्रेता) के बाबा के नाम से मांग पंजी II पृष्ट सं०–52/1 पर चलता है। उपरोक्त भूमि आवेदक (विक्रेता) के शान्तिपूर्ण दखल–कब्जे में है।

अंचल अधिकारी, डण्डई के पत्रांक 420 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस भूमि को विक्री करने के संबंध में किसी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जनजाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य हैं। उक्त भूमि रैयती खाते की है।

अतः अंचल अधिकारी, डण्डई के अनुशंशा के आलोक में (विक्रेता) रामनाथ सिंह, पिता–स्व० घुरा सिंह, ग्राम–बैलाझखड़ा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को क्रेता श्रीमती यशोदा देवी, पति–श्री श्यामलाल सिंह, ग्राम–बैलाझखड़ा, पोस्ट–डण्डई, थाना–डण्डई, जिला–गढ़वा को निम्नांकित भूमि विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
बैलाझखड़ा	387	46	241	0.11 $\frac{1}{4}$ ए०	उ०–निज विक्रेता, द०–जगरनाथ सिंह, पू०–पक्की सड़क, प०–माधो सिंह.
			कुल रकबा:–	0.11 $\frac{1}{4}$ ए०	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:17:57 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner